**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2964**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**पुलिस कर्मियों में महिलाओं का अनुपात**

**2964. श्रीमती वानसुक साइमः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आंकड़ों से पता चलता है कि सभी पुलिस कर्मियों में महिलाओं की संख्या 7.28 प्रतिशत है;**

**(ख) क्या पुलिस व्यवस्था के शीर्ष पर, यह संख्या और भी कम है तथा वरिष्ठ पदों पर 1 प्रतिशत से भी कम महिलाएं तैनात हैं; और**

**(ग) क्या यह सही समय है कि पारंपरिक पुरुष-प्रधान धारणा कि पुलिस का कार्य पुरुषों का काम है, को उघाड़ा जाए और पुलिस में पुरुषों और महिलाओं में समानता को कायम किया जाए?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क) से (ग): पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, 01.01.2017 की तारीख में, सभी पुलिस कार्मिकों में महिला पुलिस कार्मिकों की वास्तविक संख्या 7.28 प्रतिशत है। उपमहानिरीक्षक तथा इससे ऊपर के शीर्ष पुलिस पदक्रम में 6.5 प्रतिशत पदों पर महिलाएं पदस्थापित हैं।

 चूंकि, “पुलिस” राज्य का विषय है तथा यह भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-।। में आता है, इसलिए पुलिस व्यवस्था में लैंगिक समानता लाने के लिए पुलिस बलों में महिला कार्मिकों की संख्या बढ़ाने की मुख्य जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की है।

 केंद्र सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर परामर्श देती है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने कुल पुलिस बलों में महिला पुलिस की भागीदारी को बढ़ाकर 33% करने के लिए सभी राज्य सरकारों को दिनांक 22.04.2013, 21.05.2014 तथा 12.05.2015 को परामर्शी-पत्र जारी किए हैं। केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सम्मिलित प्रयास उत्साहवर्धक हैं तथा महिला पुलिस कार्मिकों का प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ रहा है।

\*\*\*\*\*